राजस्थान सरकार

सूचना एवं जन सम्पर्क कार्यालय, झालावाड़

प्रेस नोट

बांसखेड़ी लोढ़ान के एक उचित मूल्य दुकानदार के वितरण कार्य पर रोक

झालावाड़ 6 मई/उचित मूल्य दुकानदार राधाकिशन ग्राम पंचायत बांसखेड़ी लोढ़ान तहसील अकलेरा का अपरिहार्य कारणों से वितरण कार्य रोककर दुकान का अटेचमेन्ट उचित मूल्य दुकानदार मांगीलाल ग्राम पंचायत सरड़ा–। तहसील अकलेरा से किया गया है।

जिला रसद अधिकारी ने बताया कि उचित मूल्य दुकानदार मांगीलाल ग्राम पंचायत सरड़ा–। तहसील अकलेरा उचित मूल्य दुकानदार राधाकिशन ग्राम पंचायत बांसखेड़ी लोढ़ान तहसील अकलेरा से अवशेष नियंत्रित वस्तुओं का स्टॉक प्राप्त कर आंवटित क्षेत्र के उपभोक्ताओं में संबंधित ग्राम पंचायत में वितरण करना सुनिश्चित करेंगें।

राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन 9 मई को

झालावाड़ 6 मई/राष्ट्रीय एवं राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण झालावाड़ के तत्वाधान में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन 9 मई को किया जावेगा। लोक अदालत में मोटर वाहन दुर्घटना व बीमा दावा सहित प्रीलिटिगेशन स्तर के मामलों की सुनवाई की जावेगी, एमएसीटी झालावाड़ के मामलों की सुनवाई सुबह 10 बजे से न्यायालय परिसर में स्थित एडीआर भवन में होगी, ताल्लुका अकलेरा के एमएसीटी से सम्बन्धित मामलों की सुनवाई न्यायालय अपर जिला एवं सैशन न्यायाधिश अकलेरा में होगी तथा ताल्लुका भवानीमण्डी के एमएसीटी से सम्बन्धित मामलों की सुनवाई न्यायालय परिसर भवानीमण्डी में होगी।

इस लोक अदालत में यदि कोई पक्षकार अपने मामलों का निस्तारण लोक अदालत के माध्यम से करवाना चाहता है तो वह सम्बन्धित न्यायालय जहां उनका मुकदमा लम्बित है उसमें सम्पर्क कर आवेदन कर लोक अदालत का लाभ उठा सकते है।

एमनेस्टी योजना के तहत राज्य सरकार द्वारा वाहनों का बकाया कर, ब्याज, शास्ति में छूट

झालावाड़ 6 मई / जिला परिवहन अधिकारी दिनेश सिंह सागर ने बताया कि वाहनों पर बकाया कर, शास्ति, ब्याज में एमनेस्टी योजना के तहत छूट प्रदान की गई है। योजना के तहत जो वाहन नष्ट हो चुके हैं उन वाहनों पर नष्ट होने की तिथि से कर, ब्याज, शास्ति में छूट प्रदान की गई है तथा जो वाहन नष्ट नहीं हुए हैं, उनके कर पर ब्याज एवं शास्ति में छूट प्रदान की गई है। वाहन स्वामी जिला परिवहन कार्यालय में आकर इस योजना के तहत छूट का लाभ उठा सकते है।

उन्होनें बताया कि यह योजना 30 जून 2015 तक ही लागू रहेगी। इसके बाद आने वाले वाहन स्वामी इस योजना का लाभ नहीं ले सकेगें।